In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

अनुप कुमार सिंह बनाम जदु यादव वगैरह

T.S–231/2019

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
14.10.2025	वादीगण की ओर से दिनांक–29.04.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी 1 ख शत्रुधन यादव की मृत्यु दिनांक–23.03.2024 को हो गयी है, जिनका नाम विलोपित कर इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसान–मु0 आशा देवी, ललीता कुमारी, राहुल कुमार, संदीप कुमार तथा रमेश कुमार को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है। यह आवेदन समय सीमा के अधीन है क्योंकि वादी ने दिनांक–29.04.2024 को प्रतिस्थापना आवेदन दिया है जिसमें कुछ त्रुटियां हो गई थी इसी कारण यह प्रतिस्थापना आवेदन उस प्रतिस्थापना आवेदन के पूरक आवेदन के रूप में दाखिल कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर निवेदन किया गया है कि वादी का आवेद न मेन्टनेबुल नहीं है, जो काफी विलंब से दिया गया है वो विलंब अवधि क्षांत करने का अलग से सवाल भी नहीं दिया गया है। अतः वादी का सवाल खारिज किया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी 1 ख शत्रुधन यादव का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–23.03.2024 को हो चुकी है। वादी द्वारा दिनांक–29.04. 2024 को प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया था किन्तु कुछ त्रुटि होने के कारण पुनः दिनांक–29.04.2025 को दाखिल किया गया है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक–29.04.2025 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि 1 ख शत्रुधन यादव का नाम अभिलेख से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान–मु0 आशा देवी, ललीता कुमारी, राहुल कुमार, संदीप कुमार तथा रमेश कुमार को प्रतिस्थापित करें। वास्ते दिनांक–11.11.2025 प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	